न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर ।

वाद संख्या 330

अन्तर्गत धारा–198(4) ज0वि0अ0
ग्राम मऊ एतवारा परगना जगदीशपुर
तहसील मुसाफिरखाना जिला
सुलतानपुर ।

सरकार वनाम बुधई आदि।

निर्णय

उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना की आख्या दिनांक 30.11.2006 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4787/2003 हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 25.7.2001 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्वन्ध में शासनादेश संख्या 3125/1.2.2001 व 2 दिनांक 8.1.2001 तत्क्रम में जारी परिषदादेश संख्या जी–86515–9आर /2001 दिनांक 24 जनवरी 2002 तथा परिषदादेश संख्या 996/1–2–2003 दिनांक 2.7.2003 का अनुपालन करने हेतु झील तालाव पोखर और वाटर रिजरवायर्स पर से अवैध कब्जे हटाने का निर्देश दिया गया है। जिसका अनुपालन करने हेतु उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना के द्वारा गाटा संख्या 899मि रकवा 0.051 हे0 स्थित ग्राम मऊ एतवारा परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना खतौनी खाता संख्या 855 पर बुधई, ऊधौराम , श्याम बहादुर , शिव बहादुर व दुजई सुतगण गुप्तार निवासी ग्राम मऊ एतवारा असंक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है। जिसे खारिज करके पुनः तालाव के खाते में अंकित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है।ग्राम में चकवन्दी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तथा धारा–52 जोत चकवन्दी अधिनियम का प्रकाशन हो चुका है। विवादित भूमि जोत चकवन्दी आकार पत्र–41 व 45 में तालाव के खाते में अंकित है। तालाव की भूमि ज0वि0अ0 की धारा–132 की भूमि है जिसपर किसी भी व्यक्ति को कोई भी भौमिक अधिकार प्राप्त नही हो सकता है। ज0वि0अ0 की धारा–132 में यह भी उल्लिखित है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि जिस प्रयोजन के लिये सुरक्षित की गयी है अथवा अभिलेखों में अंकित है उसका प्रयोग उसी रूप में किया जायेगा ।

उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से स्पष्ट है कि जोत चकवन्दी आकार पत्र–45में विवादित भूमि तालाव के खाते में अंकित है। इस सम्वन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंचलाल तिवारी वनाम कमलादेवी एवं अन्य , सिविल अपील नम्वर 4787 सनू 2001 आर0डी02001(92) पेज 689 पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कि समुदाय का तात्विक स्त्रोत जैसे बन, जलाशय , तालाव , पहाडी, पहाड इत्यादि प्रकृति के उपहार है। वे सामान्य पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखते है। उन्हे समुचित और स्वस्थ पर्यावरण के लिये संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है जो संविधान के अनुच्छेद–21 के अधीन प्रत्याभूत अधिकार का आवश्यक तत्व है। राजस्व प्राधिकारियो को शामिल करके सरकार ने उल्लेख किया है कि तालाव का प्रयोग नही हो रहा है। इसलिये उसे उसका विकास करने के लिये उनपर ध्यान देना चाहिए , जो एक तरफ पारिस्थितिकीय नुकसान को निवारित करेगा तथा दूसरी तरफ व्यापक रूप से सामान्य जनता के लिये बेहतर पर्यावरण प्रदान करेगा । इसी मत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 67 वर्ष 2005 शारदादीन वनाम उ0प्र0 राज्य उवं अन्य राजस्व निर्णय संग्रह 2005 पेज 472 के पैरा–8 में यह मत प्रतिपादित किया है कि यदि भूमि का कोई भूखण्ड तालाव के रूप मे उसकी प्रकृति को खोने के वाद किसी के कब्जे में है तो ऐसा तालाव या भूखण्ड का ऐसा भाग तत्काल अप्राधिकृत अधिभोगी से खाली कराया जायेगा ।

इसी व्यवस्था के पैरा–9 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि तालाव ग्रामीणो की जीवनरेखा है। भूमिगत जल के जल स्तर में चिंताजनक कमी के कारणो में से एक विशिष्ट रूप से आधुनिक वर्षो के दौरान तालावों का सूखना है। तालाव या तो अप्रयोग के कारण या हितवद्व व्यक्तियों के द्वारा उसमें मिटटी भरकरके सक्रिय प्रयास के द्वारा सूख गये है । इस न्यायालय के कुछ ऐसे निर्णय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि कोई व्यक्ति ग्रामसभा की भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने अधिकार को परिपक्व नही बना सकता । क्योकि उ0प्र0 ज0वि0अ0 तथा नियमावली के अधीन अतिचारी को बेदखली के लिये ग्रामसभा के द्वारा वाद दाखिल करने के लिये कोई परिसीमा

नही है।माननीय उच्चतम न्यायालय के हिचंलाल तिवारी के निर्णय के पूर्वोक्त दृष्टि में राजस्व अभिलेखो में तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया भूखण्ड यदि वह तालाव या उसका कोई भाग होने से प्रविरत हो गया है, किसी व्यक्ति को आवंटित नही किया जा सकता है। कोई प्राधिकारी तालाव के प्रयोग के परिवर्तन की अनुमति देते हुए या अभिलिखित करते हुए आदेश को पारित नही कर सकता है। इस दृष्टि में यदि भूखण्ड जिसे ज0वि0 ऐक्ट के वाद तालाव के रूप में प्रविष्ट किया गया था और राज्य/ ग्रामसभा या उसके किसी भाग में निहित किया गया है जो किसी व्यक्ति के नाम अंकन किया गया है, तो उक्त अंकन शून्य है और उपेक्षा किये जाने के लिये दायी है।

इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–5 लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 24.02.2006 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम के वन, तालाब, गड़ही, झीलों, कुंओं, वाटर रिजरवायर, जल प्रणालियों एवं नदियों के तल आदि की भूमियों के सम्बन्ध में निहित होने के दिनांक 01 जुलाई, 1952 के राजस्व अभिलेखों के आधार पर गहन जांच करने तथा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन अर्थात् अवैध कब्जे हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि विवादित भूमि इन्द्राज के पूर्व तालाब के खाते की भूमि थी। उक्त विवेचना के आधार पर उपजिलाधिकारी मुसाफिरखाना के द्वारा प्रेषित स्वप्रेरणा की कार्यवाही स्वीकार कर इन्द्राज निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार विपक्षीगण बुधई, ऊधौराम ,श्याम बहादुर, शिव बहादुर ,दुजई सुतगण गुप्तार निवासी ग्राम मऊएतवारा परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर का नाम गाटा संख्या 899मि रकवा 0.051 हे0 स्थित भूमि ग्राम मऊएतवारा परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर के नाम का इन्द्राज/ आवंटन निरस्त किया जाता है।भूमि गावसभा के तालाव के खाते में निहित की जाती है।आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
12.12.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर

वाद संख्याः12 | अन्तर्गत धारा–6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,थाना धम्मौर जिला सुलतानपुर ।

राज्य बनाम अरमान व अन्य ।

निर्णय

जिला पूर्ति अधिकारी सुलतानपुर के पत्र दिनांक 21.11.2006 के साथ प्राप्त तहसीलदार/मजिस्ट्रेट सुलतानपुर की आख्या के आधार पर विपक्षी अरमान पुत्र मो0अली , उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत बनकेपुर विकास खण्ड दूवेपुर तहसील सदर थाना धम्मौर जिला सुलतानपुर तथा विपक्षी मो0अली पुत्र मियादीन निवासी बनकेपुर थाना धम्मौर जिला सुलतानपुर के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6ए के अर्न्तगत नोटिस दिनांक 25.11.2006 को निर्गत की गयी थी । नोटिस में यह उल्लेख किया गया था कि मेसर्स अरमान ट्रेडिग कम्पनी बनकेपुर एवं श्री अरमान उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत बनकेपुर विकास खण्ड दूवेपुर तहसील सदर की जांच तहसीलदार/मजिस्ट्रेट अतिरिक्त श्री उमेश चन्द्र शुक्ला द्वारा की गयी । जांच के दौरान कोटे से प्राप्त 207 बोरी चावल ,21 बोरी गेहूं ,05 ड्रम मिटटी तेल तथा एक ड्रम मोविल आशिंक भरा , 17 ड्रम खाली को कब्जे में लेकर श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत उतुरी के उचित दर विक्रेता श्री चिन्तामणि सिह को सुपुर्द कर दिया गया है तथा मेसर्स अरमान ट्रेडिग बनकेपुर से प्राप्त धान कामन मौके पर 21 बोरा प्रत्येक का वजन 65 किग्रा0 वजन 13.65 कुन्तल , चावल कामन अरवा मौके पर 155 बोरी वजन 91.91.500 कुन्तल तथा गेहूं 1715 बोरी वजन 1016.99.500 कुन्तल अधिग्रहीत कर वरिष्ठ विपणन निरीक्षक दूवेपुर की अभिरक्षा में अग्रिम आदेशो तक सुपुर्द कर दिया गया है। इस सम्वन्ध में मु0अ0स0 995/06 धारा–3/7 ई0सी0 ऐक्ट 1955 व केरोसिन ऐक्ट 1962 व धारा–420 भा0द0वि0 दिनांक 2.11.2006 थाना धम्मौर विरूद्व श्री मुहम्मद अली व श्री अरमान ग्राम पंचायत बनकेपुर के अंकित कराई गयी है।प्रश्नगत कोटा पूर्ति विभाग के अभिलेखो में अरमान पुत्र मो0 अली के नाम से है तथा वह मौके पर उपस्थित नही मिला । मौके पर स्टाक में जो खाद्यान्न पाया गया वह सभी बोरे एफ0सी0आई0 के थे तथा उसमें कुछ बोरी मशीन की सिली थी तथा अधिकांश बोरियां खोलकर उनमें कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न भरकर उन्हें हाथ से सिला गया था । इससे सिद्व होता है कि विपक्षी के द्वारा सरकारी राशन की बोरियों में अतिरिक्त खाद्यान्न भरकर तथा उनको हाथ से सिलकर रूप बदलने का प्रयास किया जा रहा था। जिस समय खाद्यान्न की गिनती / दुकान में रखे खाद्यान्न व मिटटी के तेल व अन्य का भौतिक सत्यापन किया जा रहा था उस समय जनता के दो गवाह कपिलदेव तिवारी व अव्दुल गफ्फार भी उपस्थित थे। जनता के इन गवाहो के भी हस्ताक्षर स्टाक फर्द पर मौजूद है। शिकायतकर्ता के द्वारा जानकारी दी गयी कि कोटेदार के पिता मो0अली के पुत्र अरमान के नाम बनकेपुर का कोटा है तथा इनके भांजे इरफान के नाम सरैया का कोटा है। इसके अतिरिक्त ग्राम रामापुर का कोटा निलम्वित चल रहा है वह भी ग्राम बनकेपुर से सम्वद्व है। विपक्षी एक राशन माफिया है।विपक्षी के द्वारा कई कोटा डीलर के वीपीएल खाद्यान्न को उनसे खरीदकर खुले बाजार में ब्लैक मार्केटिग का कार्य किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि ग्राम ताजपुर ,बहादुरपुर , हरिहरईशापुर , अफलेपुर बंधुआकलां , गोरावारिक ,दादूपुर ,हरौली आदि के कोटे के खाद्यान्न की कालाबाजारी विपक्षीगण के माध्यम से होती है। शिकायतकर्ता के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कोटेदार का कोटे के दुकान के पास ही एक गोदाम है जो अरमान ट्रेडिग कम्पनी के नाम से मण्डी समिति में पंजीकृत है। उसमें विपक्षी राशन के खाद्यान्न को अवैध रूप से कोटेदारो से क्रय किये गये बोरो को रखते है तथा उनकी सिलाई तोडकर उनमें कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न भरकर अपने हाथ से सिलकर उनका रूप बदलकर वाजार में बेंच देते है जैसा कि फर्द एवं जांच आख्या से स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त ग्राम बनकेपुर का कोटा विपक्षी मो0 अली पुत्र अरमान के नाम से है। जांच में यह भी पाया गया कि जिस समय कोटे का प्रस्ताव हुआ था उस समय विपक्षी अरमान नावालिग था।कोटे का असली संचालन

मो0अली पुत्र मियादीन खां निवासी ग्राम वनकेपुर के हाथ में है तथा यह व्यक्ति राशन कोटे का सवसे बडा माफिया है। उसके नाम से आर एफ सी के उठान का ठेका भी है। जिसकी आड में विपक्षी द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालावाजारी की जा रही है तथा माल पकडे जाने पर कभी आरएफसी का माल बताकर तथा कभी यह वताकर कि वह मण्डी समिति का अधिकृत ट्रेडर्स है सरकारी अधिकारियों को गुमराह कर बच जाता है। विपक्षी के विरूद्व इसके पूर्व भी कई बार कार्यवाही हुई थी जिसमें वह तकनीकी आधारो पर बच निकलने में सफल हुआ था । राशन की दुकान में रखे खाद्यान्न के सम्वन्ध में वरिष्ठ विपणन निरीक्षक / मार्केटिग गोदाम प्रभारी से लिखित रिर्पोट ली गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मो0 अली से सम्वन्धित कोटा बनकेपुर/ सरैया /रामापुर के किसी भी खाद्यान्न/ चीनी का उठान माह नवम्वर 2006 हेतु दिनांक 1.11.2006 तक नही हुआ है। ऐसी स्थिति में राशन के दुकान में प्राप्त खाद्यान्न तथा मिटटी का तेल का भन्डारण अवैध कारोवार के लिये एकत्र किया जाना प्रतीत होता है। साथ ही विपक्षी के द्वारा जो सरकारी खाद्यान्न की पैकिंग का रूप बदला जा रहा था वह साथ में गोदाम में उसी प्रकार रूप वदलकर पाया गया । खाद्यान्न की बोरियां हजारो की संख्या में पायी गयी । इससे सिद्व होता है कि विपक्षी मो0अली एक वहुत बडा राशन माफिया है तथा उसके इस कार्य में उसका पुत्र अरमान भी बराबर का सहयोग करता है।

विपक्षी पर नोटिस तामीला हेतु भेजी गयी । विपक्षी मो0अली पर नोटिस दिनांक 10.12.2006 को विधिवत तामील है । नोटिस तामील होने के वावजूद भी कोई उपस्थित नही हुआ । बार बार पुकार के समय भी कोई उपस्थित नही हुआ और न ही कोई आपत्ति दाखिल की गयी । इससे स्पष्ट है कि नोटिस के वावजूद भी भारी मात्रा में बरामद खाद्यान्नो एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में कुछ नही कहना है।चूंकि बरामद वस्तुऐ क्षयवान है । इसलिये इस सम्वन्ध में तुरन्त निर्णय लिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी के द्वारा कहा गया कि जिला पूर्ति अधिकारी सुलतानपुर की आख्या दिनांक 21.11.2006 के अनुसार मेसर्स अरमान ट्रेडिग कम्पनी बनकेपुर एवं अरमान उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत बनकेपुर की जांच तहसीलदार/ मजिस्ट्रेट अतिरिक्त के द्वारा की गयी । जिसमें जांच के दौरान कोटे से प्राप्त 207 बोरी चावल , 21 बोरी गेहूं ,05 ड्रम मिटटी तेल तथा एक ड्रम मोविल आंशिक भरा ,17 ड्रम खाली जव्त कर श्री रवि कुमार शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत उतुरी के उचित दर विक्रेता चिन्तामणि सिह को सुपुर्द कर दिया गया है तथा मेसर्स अरमान ट्रेडिग बनकेपुर से प्राप्त धान कामन मौके पर 21 बोरा प्रत्येक का वजन 65 किग्राम0 वजन 13.65 कुन्तल , चावल कामन अरवा मौके पर 155 बोरी वजन 91.91.500 कुन्तल तथा गेहूं 1715 बोरी वजन 1016.99.500 कुन्तल अधिगृहीत कर वरिष्ठ विपरण निरीक्षक दूवेपुर की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है। राशन की दुकान में रखे खाद्यान्न के सम्वन्ध में वरिष्ठ विपणन निरीक्षक / मार्केटिग गोदाम प्रभारी से लिखित रिर्पोट ली गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मो0 अली से सम्वन्धित कोटा बनकेपुर/ सरैया /रामापुर के किसी भी खाद्यान्न/ चीनी का उठान माह नवम्वर 2006 हेतु दिनांक 1.11.2006 तक नही हुआ है। ऐसी स्थिति में राशन के दुकान में प्राप्त खाद्यान्न तथा मिटटी का तेल पूर्णतया अवैध की संज्ञा में आता है। साथ ही आपके द्वारा जो सरकारी खाद्यान्न का रूप बदला जा रहा था वह साथ में गोदाम में उसी प्रकार रूप वदलकर पाया गया ।

विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया । दिनांक 1. 11.2006 को तहसीलदार/मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के द्वारा ग्राम पंचायत बनकेपुर ब्लाक दूवेपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर के कोटेदार मो0अरमान पुत्र मो0अली , उचित दर विक्रेता के स्टाक का भौतिक सत्यापन किया गया । जिसमें खाद्यान्न के कुल बोरो की सख्या 228 , मिटटी के तेल भरे ड्रमो की संख्या 05 तथा मोविल आयल भरा ड्रम एक पाया गया । मौके पर स्टाक में जो खाद्यान्न पाया गया वह सभी बोरे एफसीआई के थे तथा उनमें कुछ बोरी मशीन की सिली थी तथा अधिकांश बोरिया खोलकर उसमें कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न भरकर उन्हे हाथ से सिला गया था ं।इससे सिद्व होता है कि विपक्षी द्वारा सरकारी राशन की बोरियो में अतिरिक्त खाद्यान्न भरकर तथा उसे हाथ से सिलकर रूप बदलने का प्रयास किया जा

रहा था । दुकान पर स्टाक का वितरण सम्वन्धी कोई भी रजिस्टर मौजूद नही पाया गया । शिकायतकर्ता के द्वारा जानकारी दी गयी कि विपक्षी अरमान के नाम बनकेपुर का कोटा है तथा भांजे इरफान के नाम सरैया का कोटा है। ग्राम रामापुर का कोटा निलम्वित चल रहा है जो कि ग्राम बनकेपुर से सम्वद्व है। विपक्षी कई कोटा डीलर के वीपीएल खाद्यान्न को उनसे खरीदकर खुले बाजार में ब्लैक मार्केटिग का कार्य करता है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम ताजपुर , बहादुरपुर, हरिहरईशापुर , अफलेपुर , बंधुआ कला , गोरावारिक , दादूपुर हरौली आदि के कोटे के खाद्यान्न की कालावाजारी विपक्षी के माध्यम से होती है।शिकायतकर्ता के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कोटेदार का कोटे के दुकान के पास ही एक गोदाम है जो अरमान ट्रेडिग कम्पनी के नाम से मण्डी समिति में पंजीकृत है। उसमें विपक्षी राशन के खाद्यान्न को अवैध रूप से कोटेदारो से क्रय किये गये बोरो को रखते है तथा उनकी सिलाई तोडकर उनमें कुछ अतिरिक्त खाद्यान्न भरकर अपने हाथ से सिलकर उनका रूप बदलकर वाजार में बेंच देते है। इसके अतिरिक्त राशन की दुकान में रखे खाद्यान्न के सम्वन्ध में वरिष्ठ विपणन निरीक्षक / मार्केटिग गोदाम प्रभारी द्वारा बताया गया कि मो0 अली से सम्वन्धित कोटा बनकेपुर / सरैया /रामापुर के किसी भी खाद्यान्न / चीनी का उठान माह नवम्वर 2006 हेतु दिनांक 1.11.2006 तक नही हुआ है। ऐसी स्थिति में राशन के दुकान में प्राप्त खाद्यान्न तथा मिटटी का तेल पूर्णतया अवैध की संज्ञा में आता है तथा विपक्षी द्वारा जो सरकारी खाद्यान्न का रूप बदला जा रहा था वह साथ में गोदाम में उसी प्रकार रूप वदलकर पाया गया है। विपक्षी का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6 के अर्न्तगत आच्छादित है। विपक्षी के द्वारा गेहूं, चावल , तेल आदि का अवैध रूप से भंडारण किया गया है। उपरोक्त वस्तुए आवश्यक वस्तु अधिनियम की श्रेणी के अर्न्तगत आती है तथा इस सम्वन्ध में विपक्षी के विरूद्व मु0अ0स0 995/2006 धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 व केरोसिन ऐक्ट 1962 व धारा–420 भा0द0वि0 थाना धम्मौर मे अभियोग पंजीकृत है। मौके पर स्टाक में जो खाद्यान्न पाया गया वह सभी बोरे एफसीआई के थे।इसके अतिरिक्त वरामद शुदा खाद्यान्न क्षयवान वस्तु है । ऐसी दशा में उक्त खाद्यान्न एवं मिटटी का तेल एव मोविल आदि के सम्वन्ध में निम्न आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः मै वीना, कलेक्टर सुलतानपुर आवश्यक वस्तु अधिनियम1955की धारा–6ए में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करती हूं कि ग्राम पंचायत बनकेपुर व्लाक दूवेपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर के कोटे से प्राप्त 207 बोरी चावल, 21 बोरी गेहूं, 05 ड्रम मिटटी तेल तथा एक ड्रम मोविल आशिक भरा तथा 17 ड्रम खाली एवं गोदाम से प्राप्त गेहू 1715 बोरी , चावल 155 बोरी , धान के बडे वोरे 21 को राज्य के पक्ष में जव्त करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी व जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सुलतानपुर की संयुक्त सुपुर्दगी में दिया जाता है। जिला पूर्ति अधिकारी व जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सुलतानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त खाद्यान्न, मिटटी तेल, मोविल आदि को नियमानुसार नीलाम करके नीलामी से प्राप्त धनराशि राज्य के क्रिमिनल हेड में जमा कराकर चालान की प्रति के साथ इस न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे । आदेश की प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी सदर सुलतानपुर, जिला पूर्ति अधिकारी तथा जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सुलतानपुर तथा थानाध्यक्ष धम्मौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय । आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर
12.12.2006

न्यायालय कलेक्टर सुलतानपुर

वाद संख्याः अन्तर्गत धारा–126 ज0वि0अ0
ग्राम ढेमा परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर
जिला सुलतानपुर ।

सरकार बनाम राम भवन आदि ।

निर्णय

मत्स्य पालन आवंटन निरस्तीकरण की प्रस्तुत कार्यवाही उपजिलाधिकारी कादीपुर की आख्या दिनांक 9.10.2006 के आधार पर प्रारम्भ की गयी । आख्या के अनुसार ग्राम ढेमा परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर के अर्न्तगत तालाव की गाटा संख्या 641क रकवा 2.036है0 अभिलेख में दर्ज है। जिसमें से 1.810 हे0 का मत्स्य पालन का पटटा दिनांक 3.4.98 को हुआ था । गाटा संख्या 1157 रकवा 0.436 हे0 व 1031 रकवा 0.544 हे0 सीलिग के खाते की श्रेणी–4क(ख) की भूमि का मत्स्य पालन पटटा भी दिनांक 3.4.98 को 10 व्यक्तियों के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। तालाव की भूमि में किसी भी प्रकार का मत्स्य पालन का कार्य नही होता है तथा सीलिग भूमि 1031 रकवा 0.544 हे0 में भी कोई मत्स्य पालन नही हो रहा है। पटटेदारो का बयान लिया गया जिसमें केवल एक वर्ष 98 –99 का लगान प्रधान के पास व्यक्तिगत रूप से जमा किया गया है। कोई रसीद नही दिखायी गयी । शेष 7 वर्षो का आजतक लगान अभी तक नही जमा किया गया है। तालाव के गाटा संख्या 841क रकवा 1.810 हे0 के 8 पटटेदार सिघाडा का उत्पादन करते आ रहे है। इस समय भी मत्स्य पालन न करके सिघाडा की पौध का रोपण दोस्तपुर के एक ठेकेदार को ठेके पर देकर किया गया है। गाटा संख्या 1157 रकवा 0.436 हे0 व 1031 रकवा 0.544 हें0 के पटटेदार भी कोई मत्स्य पालन नही करते है। पटटेदारो का विवरण निम्नवत है :–

कमांक	पटटेदार का नाम व पता	गाटा संख्या	रकवा
1	राम भवन सुत झूरी	1157	0.436 हे0
2	चहली सुत खेदू	641क मि	0.226 हे0
3	रमेसर सुत दुबरी	641क मि	0.226 हे0
4	धिसियावन सुत देवीदीन	641क मि	0.228 हे0
5	रमजू पुत्र राम लखन	641क मि	0.226 हे0
6	श्रीराज पुत्र लहूरी	641क मि	0.226 हे0
7	राम शव्द पुत्र राम कल्प	641क मि	0.226 हे0
8	राम पलट सुत गन्नू	641क मि	0.226 हे0
9	मनही सुत राम किशोर	641क मि	0.226 हे0
10	झिन्नू सुत झपसी	1031	0.544हे0

तहसील आख्या में मत्स्य पालन आवंटन लगान न अदा करने व मत्स्य पालन का कार्य न करने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

तहसील आख्या के साथ संलग्न मत्स्य पालन आवंटन पत्रावली एवं आख्या का अवलोकन किया । दस वर्षीय मत्स्य पालन पटटे को दिनांक 30.4.1998 को उपजिलाधिकारी कादीपुर के द्वारा 10 व्यक्तियों के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। उसके पश्चात सनद जारी की गयी है। दस वर्षीय मत्स्य पालन पटटे की शर्तनामा के कमांक–2 के अनुसार निर्धारित पटटे की धनराशि प्रत्येक वर्ष निर्धारित दिनांक तक अवश्य जमा किया जायेगा । किन्तु इस शर्तों का पटटेदारो के द्वारा पालन नही किया गया है। शर्तनामा के शर्त के कमांक –7 के अनुसार तालाव का उप पटटा अथवा ठेका देने का अधिकार पटटेदार को नही होगा । तहसील आख्या के अनुसार तालाव में मत्स्य पालन न करके सिधाडा की पौध का रोपड ठेकेदार को ठेके पर देकर कराया जा रहा है। मत्स्य पालन पटटा का उददेश्य मत्स्य पालन करना है। आवंटियों के द्वारा

मत्स्य पालन का कार्य नही किया गया है बल्कि एक ठेकदार को ठेका पर देकर सिघाडे की खेती करायी जा रही है। ऐसी दशा में पटटेदारों के द्वारा मत्स्य पालन पटटे की शर्तों का उल्लंधन किया जा रहा है। मत्स्य पालन पटटे की शर्त के क्रमांक –10 के अनुसार पटटे की किसी अथवा समस्त शर्तों का उल्लंधन किये जाने पर गांवसभा अथवा जिलाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि विना पटटेदार को प्रतिकार दिये लिखित आदेश के द्वारा निरस्त करके जमानत जव्त कर ली जाय । ऐसी दशा में तहसील आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम ढेमा परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुर जिला सुलतानपुर के निम्न पटटेदारो के नाम के सामने अंकित तालाव भूमि का मत्स्य पालन पटटा निरस्त किया जाता है तथा पटटेदारो के द्वारा दी गयी जमानत की धनराशि यदि कोई है तो उसे जव्त किया जाता है। तालाव पुनः गांवसभा के कव्जे में दिया जाता है।

क्रमांक	पटटेदार का नाम व पता	गाटा संख्या	रकवा
1	राम भवन सुत झूरी	1157	0.436 हे0
2	चहली सुत खेदू	641क मि	0.226 हे0
3	रमेसर सुत दुबरी	641क मि	0.226 हे0
4	धिसियावन सुत देवीदीन	641क मि	0.228 हे0
5	रमजू पुत्र राम लखन	641क मि	0.226 हे0
6	श्रीराज पुत्र लहूरी	641क मि	0.226 हे0
7	राम शव्द पुत्र राम कल्प	641क मि	0.226 हे0
8	राम पलट सुत गन्नू	641क मि	0.226 हे0
9	मनही सुत राम किशोर	641क मि	0.226 हे0
10	झिन्नू सुत झपसी	1031	0.544हे0

इसके अतिरिक्त सभी पटटेदारो के द्वारा विगत सात वर्षो का 560/– रूपया प्रति वर्ष प्रति पटटेदार बकाया 3920 /– (तीन हजार नौ सौ बीस रूपया मात्र) जो अदा नही किया गया है , को भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल कर गांवसभा के फंड में जमा कराया जाय ।आदेश की प्रतिलिपि उपजिलाधिकारी / तहसीलदार कादीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह उपरोक्त तालाव पर कव्जा प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें । आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली दाखिल दप्तर की जाय ।

(वीना)
कलेक्टर
सुलतानपुर